न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनीय आर्य, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 65/17 (223 आर. टी. एक्ट)
जीसीएमएस संख्या 2017/00244

उनवान

1. सुल्तान सिंह पुत्र
2. इन्दरवती पुत्री
3. मंजू पुत्री
4. संजू पुत्री
5. त्रिवेणी पत्नी

} पौथी समस्त जाति धोबी नि0 ग्राम सिकरौदा तहसील बाडी जिला धौलपुर

.....अपीलांट।

बनाम

1. फिन्दर सिंह
2. सुरेश सिंह
3. रणवीर उर्फ राजवीर

} पुत्रगण होतम सिंह समस्त जातिगण ठाकुर निवासी सिकरौदा तह0 बाडी जिला धौलपुर।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाडी जिला धौलपुर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी बाडी दि0 09.04.2001 प्र.सं. 03/1995 उनवानी सरकार बनाम होतम सिंह।

उपस्थित :–

1. श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव वकील अपीलांट।
2. श्री राजेन्द्र राणा वकील रैस्पो0।

निर्णय

दिनांक–22.01.2025

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.2001 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि रैस्पो0 संख्या 04 राज्य सरकार ने एक दावा अंतर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट एवं शेष रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम सिकरौदा तहसील बाडी के पौथी जाति धोबी की खातेदारी में दर्ज है। जबकि विवादित आराजी पर कब्जा सवर्ण जाति के होतम ठाकुर निवासी सिकरौदा का है। अतः धारा 42 आरटीएक्ट का उल्लंघन होने के कारण धारा 175 आरटीएक्ट के तहत दावा न्यायालय सहायक कलक्टर बाडी के न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय सहायक कलक्टर बाडी ने अपने आदेश दिनांक 23.12.1986 से विवादित आराजी को सिवायचक

भू-प्रबंध अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

दर्ज करने एवं पौथी के प्रार्थना पत्र पर विवादित आराजी को आदेश दिनांक 19.06.1989 से रिसीवरी में रखे जाने के आदेश दिये। जिसकी अपील होतम ठाकुर ने माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में प्रस्तुत की गयी, जो निरस्त हुयी। माननीय राजस्व मण्डल से पत्रावली प्राप्त होने पर पौथी एवं होतम का देहान्त होने के फलस्वरूप उनके वारिसान को तलव किया गया। परन्तु वह बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुये। अतः पैरोकार सरकार तहसीलदार बाडी की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.04.2001 से विवादित आराजी को रिसीवरी से मुक्त करते हुये, पुनः सिवायचक घोषित कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनरथ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनरथ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि विवादित आराजी अपीलाण्ट को आवंटन नियम 1970 के तहत विधिवत आवंटन हुयी थी। तहसीलदार ने धारा 175 आरटीएक्ट के तहत अधीनरथ न्यायालय में दावा सरकार बनाम होतम प्रस्तुत किया। जिसमें होतम ने अपने जवाव दावे में विवादित आराजी पर केवल अपना कब्जा बताया। होतम व पौथी की माननीय राजस्व मण्डल में दौराने अपील मृत्यु हो गयी। पत्रावली माननीय न्यायालय से रिमाण्ड होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने दोंनों के वारिसान को तलव ही नहीं किया। अतः पत्रावली में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर विवादित आराजी को अपीलाधीन आदेश से सिवायचक घोषित कर दिया। विवादित आराजी पर होतम तो सिर्फ एक अतिक्रमी था। अतः वह कन्टेस्ट करने का अधिकारी ही नहीं था। अपीलाण्ट ने विवादित आराजी को होतम के लिये विक्रय किया हो या पट्‌टे पर दी हो अथवा काश्त पर दी हो। ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। चूंकि माननीय न्यायालय से पत्रावली वापस आने पर अपीलाण्ट को कोई नोटिस नहीं दिया गया अतः उन्हें सर्वप्रथम दिनांक 11.09.2017 को प्रकरण की जानकारी हो पायी। तत्पश्चात् जानकारी की दिनांक से अपील प्रस्तुत कर दी। अतः अपील को जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद शुमार किये जाने की प्रार्थना की गयी। आदेश 22 नियम 5 के तहत एक पक्षीय कार्यवाही होने पर न्यायालय को सूचना देनी चाहिये थी। इसके अलावा धारा 175 आटीएक्ट की कार्यवाही अवैध हस्तांतरण या शिकमी काश्त पर देने पर होती है। प्रकरण में दोनों ही परिस्थिती नहीं है। तनकी भी नहीं बनायी। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। धारा 175 आरटीएक्ट की डिक्री किसी भी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं हुयी है। विवादित भूमि पर कब्जा रैस्पो0 का है। अपील भी मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर विचार किया जाना अपेक्षित है। अपीलाण्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.04.2001 के विरूद्ध हस्तगत अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 15.09.2017 को लगभग 16 वर्ष 5 माह बाद प्रस्तुत की गयी है। मियाद के संबंध में अपीलांट का कथन है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से प्रकरण वापस लौटने के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किये गये। अतः उन्हें अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो पायी। सर्वप्रथम उन्हें अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 11.09.2017 को हुयी। अतः जानकारी की दिनांक से अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद प्रस्तुत की गयी है। हमने मनन किया। रैस्पो0 संख्या 04 राज्य सरकार द्वारा एक दावा अंतर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट एवं शेष रैस्पो0 इस आशय का पेश किया गया था कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम सिकरौदा तहसील बाडी के पौथी जाति धोबी खातेदार काश्तकार हैं। जबकि विवादित आराजी पर कब्जा सवर्ण जाति के होतम ठाकुर निवासी सिकरौदा का है। अतः धारा 42 आरटीएक्ट का उल्लंघन होने के कारण धारा 175 आरटीएक्ट के तहत दावा न्यायालय सहायक कलक्टर बाडी के न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय सहायक कलक्टर बाडी ने अपने आदेश दिनांक 23.12.1986 से विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज करने एवं पौथी के प्रार्थना पत्र पर विवादित आराजी को आदेश दिनांक 19.06.1989 से रिसीवरी में रखे जाने के आदेश दिये। जिसकी अपील होतम ठाकुर ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जो दिनांक 07.11.1990 को खारिज हुयी। जिसके विरूद्ध द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में प्रस्तुत की गयी, जो निरस्त हुयी। हम पाते हैं अपीलाण्ट राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में बतौर पक्षकार मुकदमा उपस्थित रहे हैं एवं उन्होंने न्यायालय की कार्यवाही में भाग लिया है। अतः अपीलाण्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं होना का कथन सत्यभाषी नहीं माना जा सकता है। जब अपील प्रस्तुत करने में प्रत्येक दिन का स्पष्टीकरण विधिक अनिवार्यता हो तब अपील प्रस्तुत करने में 16 वर्ष 05 माह से अधिक अवधि का विलम्ब किसी भी प्रकार क्षम्य नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है एवं मियाद के बिंदु पर ही अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य है।

6. चूंकि गुणावगुण पर भी सुनवाई की जा चुकी है। अतः उसकी विवेचना भी प्रासंगिक है। यह है कि विवादित आराजी के पोथी धोबी खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड थे। परन्तु कब्जा होतम ठाकुर जो कि सवर्ण जाति का है, का था। जिसके विरूद्ध तहसीलदार ने धारा 42 का उल्लघंन मानते हुये धारा 175 आरटीएक्ट के तहत प्रकरण तैयार कर न्यायालय सहायक कलक्टर बाडी को प्रस्तुत किया, जो अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षो की सुनवाई के उपरान्त एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अनुसूचित जाति के खातेदार की आराजी पर सवर्ण जाति का कब्जा सिद्ध होने पर विवादित आराजी को आदेश दिनांक 23.12.1986 से सिवायचक घोषित कर दिया तथा पोथी के प्रार्थना पत्र पर विवादित आराजी पर तहसीलदार को रिसीवर नियुक्त कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रथम अपील होतम ठाकुर ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जो दिनांक 07.11.1990 को खारिज हुयी। उक्त आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में प्रस्तुत की गयी, जो

भू-प्र... राजस्व ... प्राधि... भरतपुर कैम्प धौलपुर

भी निरस्त हुयी। चूंकि विवादित आराजी अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाडी के आदेश दिनांक 23.12.1986 से वर्तमान तक सिवायचक दर्ज है एवं कब्जेधारी सवर्ण जाति होतम ठाकुर के विरूद्ध 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुये उसे विवादित आराजी से बेदखल किया जा चुका है। इस प्रकार विवादित आराजी पर ना तो अपीलाण्ट एवं ना ही रैस्पो0 का कब्जा साबित है। चूंकि विवादित आराजी सिवायचक घोषित हो चुकी है। अतः दोंनों ही पक्षो के पक्ष में विवादित आराजी बाबत् कोई स्वत्व/हक नहीं बनता है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.2001 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 22.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
आर.ए.एस.
भू-प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर